



भूलेख - खतौनी राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/June/2025 04:39:50 PM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खाता संख्या : 00608

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

609	1) हरचरन / गोर्धन सिंह / नि. अलवतिया	1404 फ0	609 (1246210609000012)	2.2610	39.30
	2) उम्मेद सिंह / गोर्धन सिंह / नि. अलवतिया				
	3) रमेश चन्द्र / गोर्धन सिंह / नि. अलवतिया				
	4) रामवीर सिंह / गोर्धन सिंह / नि. अलवतिया				
	5) शीशराम / गोर्धन सिंह / नि. अलवतिया				
	6) श्रीमती रामश्री पत्नी / स्व0गोर्धन सिंह / नि. अलवतिया				
	7) दिलावर सिंह / राजपाल सिंह / नि0 अलवतिया				
	8) सोनवीर सिंह / राजपाल सिंह / नि0 अलवतिया				
	9) लोकेश सिंह / राजपाल सिंह / नि0 अलवतिया				

10) लक्ष्मी देवी पत्नी /
राजपाल सिंह / नि०
अलवतिया

कुल गाटे :

कुल क्षेत्रफल : (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का
विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता- पति- संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 2024114600766000560 / 02-05-2024 / वरासत / ASHOK KUMAR () / 01- 06-2024	1.1) श्रीमती रामश्री पत्नी/ स्व० गोर्धन सिंह/नि. अलबतिया (: -)	609 (1246210609000012)	1.1) - 2.1) - 3.1) - 4.1) - 5.1) - 6.1) - 7.1) - 8.1) - 9.1) - 10.1) - 11.1) -	1.1) अनूप चाहर / उमेश सिंह उर्फ उम्मेद सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा 1.2) दिलावर सिंह / राजपाल सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा 1.3) रमेश चन्द / गोवर्धन सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा 1.4) रामवीर सिंह / गोवर्धन सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा	609 (1246210609000012)	1.1) - 1.2) - 1.3) - 1.4) - 1.5) - 1.6) - 1.7) - 1.8) - 1.9) - 1.10) - 2.1) - 2.2) - 3.1) - 4.1) - 5.1) -
2) अन्य / T202201010103777 / 16-10-2023 / वरासत / ASHOK KUMAR () / 10- 06-2024	3.1) सोनवीर सिंह/ राजपाल सिंह/अलबतिया शाहगंज आगरा (: -)					
3) अन्य / T202501010102344 / 08-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 30- 03-2025	4.1) श्रीमती लक्ष्मी देवी/ राजपाल सिंह/अलबतिया शाहगंज आगरा (: -)					
4) अन्य / T202501010102343 / 08-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 30- 03-2025	5.1) अनूप चाहर/उमेश सिंह उर्फ उम्मेद सिंह/ ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा हाल नि० 01 अलबतिया शाहगंज थाना जगदीशपुरा आगरा (: -)					
5) अन्य / T202501010102340 / 08-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 30- 03-2025	6.1) रमेश चन्द/गोवर्धन सिंह/अलबतिया शाहगंज आगरा (: -)					
	7.1) श्रीमती जशोदा/ उमेश सिंह उर्फ उम्मेद					

6) अन्य /
T202501010102337 /
08-03-2025 / विक्रय /
ASHOK KUMAR () / 30-
03-2025

सिंह/अलबतिया शाहगंज
आगरा (: -)

8.1) लोकेश सिंह/
राजपाल सिंह/नि0
अलवतिया (: -)

1.5) लोकेश /
राजपाल सिंह
/ अलबतिया
शाहगंज
आगरा
6.1) -
7.1) -
8.1) -

7) अन्य /
T202501010102336 /
08-03-2025 / विक्रय /
ASHOK KUMAR () / 30-
03-2025

9.1) दिलावर सिंह/
राजपाल सिंह/नि0
अलवतिया (: -)

10.1) हरचरन/गोर्धन
सिंह/नि. अलवतिया (: -)

1.6) श्रीमती
जशोदा /
उमेश सिंह
उर्फ उम्मेद
सिंह /
अलबतिया
शाहगंज
आगरा
9.1) -
10.1) -
11.1) -

8) अन्य /
T202501010102335 /
08-03-2025 / विक्रय /
ASHOK KUMAR () / 30-
03-2025

11.1) शीशराम/गोर्धन
सिंह/नि. अलवतिया (: -)

1.7) श्रीमती
लक्ष्मी देवी /
राजपाल सिंह
/ अलबतिया
शाहगंज
आगरा

9) अन्य /
T202501010102334 /
08-03-2025 / विक्रय /
ASHOK KUMAR () / 30-
03-2025

1.8)
शीशराम /
गोवर्धन सिंह
/ अलबतिया
शाहगंज
आगरा

10) अन्य /
T202501010102320 /
08-03-2025 / विक्रय /

ASHOK KUMAR () / 01-
04-2025

11) अन्य /
T202501010102118 /
04-03-2025 / विक्रय /
ASHOK KUMAR () / 03-
04-2025

1.9) सोनवीर
सिंह /
राजपाल सिंह
/ अलबतिया
शाहगंज
आगरा

1.10)
हरचरन सिंह
/ गोवर्धन
सिंह /
ककुआ
आगरा

2.1) श्रीमती
जशोदा /
उम्मेश सिंह
उर्फ उम्मेद
सिंह / ग्राम
ककुआ तह०
व जिला
आगरा हाल
नि० 01
अलबतिया
शाहगंज थाना
जगदीशपुरा
आगरा

2.2) अनूप
चाहर /
उम्मेश सिंह
उर्फ उम्मेद
सिंह / ग्राम
ककुआ तह०
व जिला
आगरा हाल
नि० 01
अलवतिया
शाहगंज थाना
जगदीशपुरा
आगरा

3.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

4.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

5.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

6.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

7.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

8.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

9.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

10.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

11.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

- 1) 1429फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 28-06-22 के अनुसार रामवीर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह का खाता 798000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 30-07-22/3561 (डिजिटल हस्ताक्षर : SHANTI SWAROOP (REVENUE INSPECTOR) / 02-08-2022)
- 2) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 07-10-24 के अनुसार रामवीरसिंह पुत्र गोर्धनसिंहका खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 6033 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 07-10-2024)
- 3) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 11-04-24 के अनुसार रमेश चन्द पुत्र गोर्धन सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5782 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 15-06-2024)
- 4) 1422फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 04-10-14 के अनुसार रमेशचन्द पुत्र गोरधन सिंह का खाता 360000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 28-11-14 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 5) 1423फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 19-10-15 के अनुसार उम्मेद ंसिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 360000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर० के० 28-11-15 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 6) 1423फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 24-02-16 के अनुसार उम्मेद सिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 360000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 16-04-16/क्र. 2041 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

- 7) 1426फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 23-08-18 के अनुसार हरचरन सिंह पुत्र गोरधन सिंह का खाता 400000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 14-09-18/4473 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 8) 1422फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रौहता आगरा के आदेश दि० 10-09-14 के अनुसार रामवीरसिंह पुत्र गोर्धनसिंह का खाता 300000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 12-09-14 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 9) 1423फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 09-02-16 के अनुसार रमेशचन्द पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 400000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 16-04-16/क्र. 2045 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 10) 1423फ:- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रौहता आगरा के आदेश दि० 28-03-16 के अनुसार रामवीर सिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 522000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 30-03-16/क्र. 1880 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)
- 11) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार लोकेश सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5788 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 20-06-2024)
- 12) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार सोनवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5791 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 13) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 20-04-24 के अनुसार हरचरन सिंह पुत्र गोरधन सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5808 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 14) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार दिलावर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5789 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 15) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5790 (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 16) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार लोकेश सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1439 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)

- 17) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार दिलावर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1440 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 18) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार लक्ष्मी देवी पत्नी राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1438 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 19) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार सोनवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1437 (डिजिटल हस्ताक्षर : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 20) 1430फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 15-02-23 के अनुसार उममेदसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5380 (डिजिटल हस्ताक्षर : REWATI LAL (RI OFFICE) / 31-10-2023)

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102118
वाद संख्या:- 2118/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम शीशराम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 04/03/2025

वाद सं० ज्202501010102118/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम शीशराम

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने शीशराम से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता शीशराम पुत्र श्री गोर्धन सिंह उर्फ गोवर्धन निवासी अलबतिया जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर संभू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 22617000/-रू0 आवेदन संख्या-202500766002054 दिनांक 20.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102320
वाद संख्या:- 2320/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम हरचरन सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० जू202501010102320/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम हरचरन सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने हरचरन सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता हरचरन सिंह पुत्र गोर्धन सिंह उर्फ गोवर्धन निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 23765760/-रू० आवेदन संख्या-202500766003585 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102334
वाद संख्या:- 2334/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम दिलावर सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102334/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम दिलावर सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने दिलावर सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता दिलावर सिंह पुत्र स्व० राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 5654250/-रू0 आवेदन संख्या-202500766003584 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102335
वाद संख्या:- 2335/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम लोकेश
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102335/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम लोकेश

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने लोकेश से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता लोकेश पुत्र स्व० राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 5654250/-रू० आवेदन संख्या-202500766003587 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102336
वाद संख्या:- 2336/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम जशोदा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102336/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम जशोदा

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.18841666हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने जशोदा से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.18841666हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.18841666हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता जशोदा पत्नी उम्मेद सिंह उर्फ उमेश सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 11308500/-रू० आवेदन संख्या-202500766003589 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102337
वाद संख्या:- 2337/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम रमेश चन्द्र
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102337/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम रमेश चन्द्र

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने रमेश चन्द्र से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.37683333हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता रमेश चन्द्र पुत्र गोवर्धन सिंह उर्फ गोवर्धन निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 22617000/-रू० आवेदन संख्या-202500766003586 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102340
वाद संख्या:- 2340/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम अनूप चाहर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102340/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम अनूप चाहर

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.18841666हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने अनूप चाहर से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.18841666हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.18841666हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता अनूप चाहर पुत्र उम्मेद सिंह उर्फ उमेश सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 11308500/-रू० आवेदन संख्या-202500766003590 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102343
वाद संख्या:- 2343/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम लक्ष्मी देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102343/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम लक्ष्मी देवी

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने लक्ष्मी देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 5654250/-रू0 आवेदन संख्या-202500766003581 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102344
वाद संख्या:- 2344/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम सोनवीर सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं० ज्202501010102344/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम सोनवीर सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने सोनवीर सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे०का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00608 के गाटा संख्या 609 रकवा 2.2610हे० में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.09420833हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता सोनवीर सिंह पुत्र स्व० राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 5654250/-रू० आवेदन संख्या-202500766003582 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"